



**INFUSION NOTES**  
WHEN ONLY THE BEST WILL DO



**LATEST  
EDITION**

# RAS

**RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION**

**मुख्य परीक्षा हेतु**

**HANDWRITTEN NOTES**

**[भाग -2]**

**लोक प्रशासन + खेल एवं योग + व्यवहार एवं विधि**



**INFUSION NOTES**

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

**RAS**

**RAJASTHAN PUBLIC  
SERVICE COMMISSION**

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 2

लोक प्रशासन + खेल एवं योग + व्यवहार एवं विधि

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RAS (Rajasthan Administrative Service) (मुख्य परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams” मुख्य भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/40daqf>

Online Order करें - <https://shorturl.at/qR235>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

	लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	<p>प्रशासन एवं प्रबंध</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्थ , प्रकृति एवं महत्व</li> <li>• विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका</li> <li>• एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास</li> <li>• नवीन लोक प्रशासन</li> <li>• लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम</li> </ul>	1-8
2.	<p>शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणाएँ</p>	8-14
3.	<p>संगठन के सिद्धांत</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पदसोपान</li> <li>• नियंत्रण का क्षेत्र</li> <li>• आदेश की एकता</li> </ul>	14-22
4.	<p>प्रबंधन के कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• निगमित अभिशासन</li> <li>• सामाजिक उत्तरदायित्व</li> <li>• नव लोक प्रबंध के नवीन आयाम,</li> <li>• परिवर्तन प्रबंधन</li> </ul>	22-25
5	लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृति	26-30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-पक्षधरता</li> <li>• लोक सेवा के लिए समर्पण</li> <li>• सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ के मध्य संबंध</li> </ul>	
6.	<b>प्रशासन पर नियंत्रण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक</li> <li>• विभिन्न साधन एवं सीमाएँ</li> </ul>	31-37
7.	<b>राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्यपाल</li> <li>• मुख्यमंत्री</li> <li>• मंत्रिपरिषद्</li> <li>• राज्य सचिवालय</li> <li>• निदेशालय एवं मुख्य सचिव</li> </ul>	37-72
8.	<b>जिला प्रशासन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संगठन, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट</li> <li>• पुलिस अधीक्षक की भूमिका</li> <li>• उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन</li> </ul>	73-78
9.	<b>विकास प्रशासन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएँ</li> </ul>	78-82
10.	<b>राजस्थान में विभिन्न आयोग</b>	82-88

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य मानवाधिकार आयोग</li> <li>• राज्य निर्वाचन आयोग</li> <li>• लोकायुक्त</li> <li>• राजस्थान लोक सेवा आयोग</li> <li>• राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011</li> <li>• राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
	<b>खेल एवं योगा</b>	
1.	भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति	89-99
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद	79-84
3.	राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार	104-113
4.	योग- सकारात्मक जीवन पद्धति	113-130
5.	भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारत के प्रमुख खिलाड़ी</li> </ul>	131-138
6.	प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास	139-143
7.	भारतीय खिलाड़ियों की ओलम्पिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरा-ओलम्पिक खेल में भागीदारी <ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	143-172

	व्यवहार	
1.	<b>बुद्धि</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संज्ञानात्मक बुद्धि</li> <li>• सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि</li> <li>• सांस्कृतिक बुद्धि</li> <li>• आध्यात्मिक बुद्धि</li> </ul>	173-179
2.	<b>व्यक्तित्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• शीलगुण व प्रकार,</li> <li>• व्यक्तित्व के निर्धारक</li> <li>• व्यक्तित्व आंकलन</li> </ul>	180-187
3.	<b>अधिगम और अभिप्रेरणा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अधिगम की शैलियां</li> <li>• स्मृति के प्रारूप</li> <li>• विस्मृति के कारण</li> <li>• अभिप्रेरणा का आंकलन</li> </ul>	188-197
4.	<b>प्रतिबल एवं प्रबंधन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रतिबल की प्रकृति</li> <li>• प्रकार</li> <li>• स्रोत</li> <li>• लक्षण एवं प्रभाव</li> <li>• प्रतिबल प्रबंधन</li> <li>• मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन</li> </ul>	197-203

	विधि	
1.	<b>विधि की अवधारणा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वामित्व एवं कब्जा</li> <li>• व्यक्तित्व</li> <li>• दायित्व</li> <li>• अधिकार एवं कर्तव्य</li> </ul>	203-209
2.	<b>वर्तमान विधिक मुद्दे</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सूचना का अधिकार</li> <li>• सूचना प्रौद्योगिकी विधि साइबर अपराध</li> <li>• अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याशाएँ</li> <li>• बौद्धिक सम्पदा अधिकार</li> <li>• अवधारणा, प्रकार एवं उद्देश्य</li> </ul>	209-226
3.	<b>स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• घरेलू हिंसा</li> <li>• कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन</li> <li>• लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012</li> <li>• बाल श्रमिकों से संबंधित विधि</li> </ul>	227-237
4.	<b>माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण- पोषण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कल्याण अधिनियम, 2007</li> </ul>	237-243
5.	<b>राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां</b> (क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955	244-269
	मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	

## लोक प्रशासन

### अध्याय - 1

#### प्रशासन एवं प्रबंध

**अर्थ :** लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला- 'लोक' और दूसरा 'प्रशासन'।

लोक से तात्पर्य किसी देश की जनता या नागरिकों से है, जबकि प्रशासन से आशय कार्यों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना है अर्थात् वह प्रशासन, जो नागरिकों के लिए या जनकल्याण के लिए उपयोगी हो, लोक प्रशासन कहलाता है।

वुडरो विल्सन के मत के अनुसार, "कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है।"

अल्बर्ट साइमन के अनुसार "जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है।"

**फिफनर के अनुसार** "सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्स-रे मशीन का संचालन हो या टकसाल में सिक्के डालना हो।"

**विशेषताएँ :** लोक नीतियों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन करना।

लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित होता है।

लोक प्रशासन में संगठनात्मक ढाँचा और प्रशासनिक तंत्र होता है।

लोक प्रशासन द्वारा निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयास क्रिया जाता है।

**महत्व :** कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना।  
राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना।  
न्यायालय के आदेशों को लागू करना।

लोक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करना तथा उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।

लोक कल्याणकारी प्रशासन के रूप में कार्य करना तथा नागरिकों के सर्वांगीण विकास तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराना।

प्रशासन	लोक प्रशासन
प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है।	लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है।
प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके।	लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है। यह अध्यापन एवं अनुसंधान के साथ क्रियाशील है।
प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया एक भी है।	लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन से है।

#### **विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका :**

विकास की तीन दुनिया 'नामक पुस्तक में इरविंग होरोविज ने विकास के संदर्भ में 'विश्व को तीन भागों में बाँटा है।

(1) प्रथम श्रेणी में पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को लेते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषता प्रतियोगी पूँजीवाद से 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति एवं आधुनिकीकरण छाप रही।

(2) द्वितीय श्रेणी में सोवियत संघ एवं उसके गुटीय राष्ट्रों को लेते हैं।

(3) तृतीय श्रेणी में उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए राष्ट्र खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सम्मिलित थे। इन्हीं राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है।

विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका	विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका
विकसित समाजों (देशों) में राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है।	विकासशील देशों में राजनीतिक व्यवस्था में उथल-पुथल पाई जाती है।
इन देशों में राजनीतिक संस्थाओं द्वारा नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाता है।	इन देशों में लोक प्रशासन की संरचना स्वदेशी न होकर पाश्चात्य औपनिवेशिक देशों की नकल।

राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता।	जनसहभागिता की कमी।
जनसहभागिता के साथ प्रशासन,	प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव
इन देशों में नौकरशाही को उत्तम, कार्यकुशल तथा राजनीतिक दृष्टि से जवाबदेह माना जाता है।	प्रशासन में नैतिकता की कमी
	प्रशासन में उत्तम प्रबंधन का अभाव।

### नवीन लोक प्रशासन:

वर्ष 1968 के पश्चात् लोक प्रशासन के अध्ययन-क्षेत्र में नवीन विचारों का उद्भव हुआ और इन विचारों को 'नवीन लोक प्रशासन' की संज्ञा दी गई। वाल्डों के अनुसार "नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सिद्धांत, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता, और सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है।"

**नवीन लोक प्रशासन के विकास :** हनी प्रतिवेदन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन

हनी प्रतिवेदन : (1967 में), जान सी. हनी को 'लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी'ने लोक प्रशासन के स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।

- (i) लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए।
- (ii) लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए।
- (iii) लोक प्रशासन के अंतर्गत शासकीय प्रक्रिया - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शामिल जाए।
- (iv) शासकीय एवं सार्वजनिक मामले संबंधी शोधकार्य में लगे हुए व्यक्तियों की आर्थिक एवं गैर-आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

### सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन, 1967 :

- निष्कर्ष :- (i) लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है।
- (ii) लोक प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रशासन का प्रशिक्षण अलग - अलग होना चाहिए।

(iii) मिन्नेबुक सम्मेलन, 1968 : वर्ष 1968 में आयोजित मिन्नेबुक सम्मेलन ने लोक प्रशासन की प्रकृति में व्यापक बदलाव किया और यह नवीन लोक प्रशासन को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। यह सम्मेलन लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था।

लोक प्रशासन	नवीन लोक प्रशासन
लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को स्वीकार करता है,	नवीन लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन द्विविभाजन की अस्वीकार करता है अर्थात् यह इन दोनों के एकीकरण पर बल देता है।
लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव होता है लोक प्रशासन केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है	नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता पर बल दियो" नवीन लोक प्रशासन में विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
लोक प्रशासन में दक्षता, तटस्थता एवं कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है।	नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता प्रशासन पर बल देता है।

### नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ :

नवीन लोक प्रशासन द्वारा राजनीति - प्रशासन विभाजन को अस्वीकार किया गया है अर्थात् नवीन लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन के एकीकरण पर बल दिया जाता है।

नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक एवं आदर्शात्मक होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

नवीन लोक प्रशासन, प्रशासन नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन सदैव नैतिकता के आधार पर होता है।

### RAS / RTS मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न :

प्रश्न-1. प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये। (15 शब्द) RAS (mains), 2021

प्रश्न-2. प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है ? (15-शब्द) RAS (mains), 2018

- कर्मचारियों के अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है।
- कार्यों को सम्पन्न करने में सहयोगात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।
- श्रम आवर्तन में कमी आती है।
- वय तथा सुचर्मन ने संगठन परिवर्तनों के विरोध के निम्नलिखित कारण बताएँ :  
शक्ति एवं नियंत्रण का अत्यधिक विकेंद्रीकरण होना।  
नियोजन का अभाव होना।  
भय एवं बैचेनी का प्रसार होना ।  
शिथिल संचार व्यवस्था का होना ।  
सीमित निष्ठा का होना ।  
लघु राज्यों का निर्माण होना ।

#### परिवर्तन के प्रबन्ध के महत्त्व:-

- (1) संगठन की उत्तरजीविता बढ़ाने हेतु परिवर्तन किया जाता है।
- (2) संगठन में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु परिवर्तन किया जाता है।
- (3) संगठन की संरचना व कर्मिकों में समन्वय बढ़ाने हेतु परिवर्तन किया जाता है।
- (4) संगठन में कार्य निष्पादन वृद्धि हेतु
- (5) बाजार स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु ।

#### RAS मुख्य परीक्षा में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न : [Page - 25]

प्रश्न-1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिये (15शब्द) RAS (Mains), 2021

प्रश्न-2. लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं ? (50 शब्द) RAS (Mains), 2018

प्रश्न-3. 'प्रबंध का दर्शन' का वर्णन कीजिये। (50 शब्द) RAS (Mains) 2018

प्रश्न-4. नवलोक प्रबंध की '3-ई' की अवधारणा को संक्षेप में समझाइये। (15शब्द) RAS(Mains), 2016

प्रश्न-5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच अंतर समझाइये (15 शब्द) RAS(Mains), 2013

## अध्याय - 2

### शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणाएं

शक्ति उस सामाजिक स्थिति का घोटक है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा और आदेशों का पालन करवाने में सफल हो जाता है। यह नकारात्मक संकल्पना है

शक्ति की अवधारणा सकारात्मकता एवं नकारात्मकता पूर्ण होती है यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो सकारात्मकता रूप में उभरती है अन्यथा शक्ति दिशाहीन होती है जो विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करती है

शूर्मेन का कथन है कि- शक्ति व्यक्तियों पर नियंत्रण एवं प्रभाव डालने संबंधी होती है समाजशास्त्री वेबर-शक्ति को आरोपण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं यह आरोपण बाध्यकारी रूप में होता है यह अवधारणा अनेक विद्वानों द्वारा विवेचित की गई है

शक्ति के संबंध में विद्वान बर्नार्ड शा का मत है कि-शक्ति कभी भ्रष्ट नहीं करती बल्कि जब यह अज्ञानी में निहित होती है तभी भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है

आर्गेन्सकी के मतानुसार- शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है । शक्ति एक सापेक्ष शब्द है यथा-राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति इत्यादि

इसके संबंध में विस्तृत विवेचन "हॉब्स अरस्तु मैक्यावली लॉसवेल, मैरियम के सिद्धांतों" में दिखाई देती है

#### 2 शक्ति की विशेषता -

- 1- बाध्यकारी स्थिति का होना
- 2- कार्य करवाने की भावना पर आधारित
- 3- फोलेट की शक्ति की अवधारणा के तहत शक्ति के ऊपर की स्थिति उभरती है
- 4- बल प्रयोग तत्व की संभावना रहती है
- 5- यह अस्थायी व वैयक्तिक होती है

#### 3 शक्ति के महत्वपूर्ण घटक-

- 1- प्रभाव

## अध्याय - 6

### प्रशासन पर नियंत्रण

प्रो. व्हाइट के शब्दों - "लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक है, नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है।"

#### विधायी / संसदीय नियंत्रण :

संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सैद्धांतिक रूप से संघ प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रशासन संविधान के अधीन एवं संसद द्वारा निर्मित विधि (कानूनों) के अनुसार ही चलाया जाता है।

**संसद निम्नलिखित तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है :-**

**प्रश्न पूछकर :** संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्नों की अग्रिम सूचना संसदीय सचिव को दी जाती है। अध्यक्ष प्रश्नों को उत्तर देने के लिए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

**बजट पर वाद-विवाद करना :** संसद में बजट पारित करने के लिए अलग से सत्र बुलाया जाता है बजट प्रस्तुतीकरण के पश्चात् फाइनेंस बिल, बजट पर सामान्य वाद-विवाद तथा मंत्रालय विशेष की माँगों आदि वह वाद-विवाद किया जाता है फाइनेंस बिल पर बहस के समय सामान्य रूप से प्रशासन संबंधित किसी भी मुद्दे को वाद-विवाद के लिए उठा सकते हैं अर्थात् सरकार की किसी भी नीति अथवा प्रशासकीय आदेश का परीक्षण भी कर सकते हैं।

**काम रोको प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव :** यदि संसद के अधिवेशन के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है जिसकी ओर सरकार का ध्यान तत्काल ही आकर्षित किया जाना आवश्यक हो तो सदस्य 'काम रोको प्रस्ताव' प्रस्तावित कर सकते हैं। यदि सदन 'काम रोको प्रस्ताव' की अनुमति दे देता है तो माना जाता है कि उस समस्या को गंभीर मानता है।

**राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर बहस :** लोकसभा चुनाव के पश्चात् जब सदन की पहली बैठक होती है, उस समय राष्ट्रपति लोकसभा में अपना पहला अभिभाषण करते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार के अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा किये जाते हैं। जिसमें सरकार की नीतियों एवं क्रियाकलापों के

विषय में प्रकाश जला जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्णित मुद्दों पर वाद-विवाद किया जाता है।

#### विधायी नियंत्रण की सीमाएँ :-

- विधायिका के सदस्यों का लाभ प्राप्ति के लिए सरकार का समर्थन करना।
- विधायिका के सदस्यों पर कठोर दलीय नियंत्रण का होना।
- संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से ही किया जाना।
- मंत्रिमंडल के सदस्यों में अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का भय होना।
- संसद के पास, पर्याप्त समय का अभाव।
- दक्ष कर्मचारियों का अभाव होना।

#### कार्यपालिका का नियंत्रण:-

प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है- राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नौकरशाही के कार्यों पर नियंत्रण करना। भारत एवं इंग्लैंड में इस प्रकार के नियंत्रण कैबिनेट एवं मंत्रियों द्वारा लगाए जाते हैं, संसदीय लोकतंत्र के अन्तर्गत शासन के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका पर होता है जो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है तथा शासन की नीतियों का क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका जिन साधनों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है निम्नलिखित हैं।

**नीति निर्माण :** संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत प्रशासनिक नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करता है जबकि निर्मित नीतियों को लागू करने का कार्य लोकसेवकों द्वारा किया जाता है अतः इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से कार्यपालिका के पास लोक सेवकों के निर्देशन निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण की शक्ति होती है जिसमें मंत्री अपने मंत्रालय या विभागों के अधीन काम करने वाली प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं।

**नियुक्ति एवं निष्कासन के द्वारा नियंत्रण :-** प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है मंत्री, जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, अपने विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्षों जैसे उच्च प्रशासकों के चयन तथा नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है और अपने विभागों के प्रशासन में इन नियुक्तियों के माध्यम से

- (2) वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रण :- वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासन पर आंतरिक अंकेक्षण, वित्तीय संहिता आदि माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है।
- (3) आचरण नियमावलियों द्वारा नियंत्रण :- प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण को नियमित करने के लिए विभिन्न आचरण नियमावलियों का प्रावधान किया गया है। जैसे - अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली, - 1954  
 केंद्रीय सेवाएँ आचरण नियमावली, - 1955  
 रेलवे सेवा आचरण नियमावली, - 1956  
 राजस्थान लोक सेवा आचरण नियमावली, - 1973
- (4) निष्कासन एवं निलंबन :- कार्यपालिका को प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबन व निष्कासित करने का अधिकार है। जिसके माध्यम से यह प्रशासन पर नियंत्रण रखती है।

## अध्याय - 7

### राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति


#### राज्य की परिभाषा -

**अरस्तु के अनुसार** - "राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

**सिसरो के शब्दों में** - " राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

**बुडरो विल्सन** - "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

**ब्लशली** - "किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"



### राज्य के तत्व

**1. जनसंख्या (population)** - राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो।

**2.- निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)**- राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है।

निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

**3.- सरकार (government)**- राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य में सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक

हैं जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

**4.- संप्रभुता (sovereignty) -** संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज में अन्य तीन तत्वों के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नहीं बन सकता राज्य में। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नहीं हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

### राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परन्तु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

**संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -**

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

**राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश**

#### सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

#### सिफारिश -

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

#### द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

#### सिफारिश -

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

#### पूछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

## राजस्थान के मुख्यमंत्री

क्र.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949 - 05.01.1951
2.	श्री सी.एस. वैकटाचार्य	06.01.1951 - 25.04.1951
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951 - 03.03.1952
4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952 - 31.10.1952
5.	श्री जयनारायण व्यास	01.11.1952 - 12.11.1954
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	13.11.1954 - 11.04.1957
7.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.04.1957 - 11.03.1962
8.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	12.03.1962 - 13.03.1967
9.	राष्ट्रपति शासन	13.03.1967- 26.04.1967
10.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	26.04.1967- 09.07.1971
11.	श्री बरकतुल्लाखां	09.07.1971- 11.10.1973
12.	श्री हरि देव जोशी	11.10.1973 - 29.04.1977
13.	राष्ट्रपति शासन	30.04.1977- 21.06.1977
14.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06.1977 - 16.02.1980
15.	राष्ट्रपति शासन	17.02.1980 - 05.06.1980

16.	श्री जगन्नाथ पहाडिया	06.06.1980- 13.07.1981
17.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981- 23.02.1985
18.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985 - 10.03.1985
19.	श्री हरि देव जोशी	10.03.1985 - 20.01.1988
20.	श्री शिव चरण माथुर	20.01.1988- 04.12.1989
21.	श्री हरि देव जोशी	04.12.1989- 04.03.1990
22.	श्री भैरों सिंह शेखावत	04.03.1990 - 15.12.1992
23.	राष्ट्रपति शासन	15.12.1992 - 03.12.1993
24.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.12.1993 - 01.12.1998
25.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998 - 08.12.2003
26.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	08.12.2003- 13.12.2008
27.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008 - 13.12.2013
28.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	13.12.2013 - 17.12.2018
29.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018 से लगातार...

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री- हीरालाल शास्त्री
- राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री- टीकाराम पालीवाल

लोक लेखा समिति	प्राक्कलन समिति / अनुमान समिति / मितव्ययता समिति	राजकीय / सार्वजनिक उपक्रम समिति
<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करती है।</li> <li>• इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं।</li> <li>• इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है।</li> <li>• कोई मंत्री, इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता।</li> <li>• इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।</li> <li>• इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।</li> <li>• यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन), विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है।</li> <li>• इस समिति का सर्वप्रथम 10 अप्रैल, 1952 को गठन किया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है तथा प्रशासन में मितव्ययता एवं कुशलता लाने के लिए वैकल्पिक सुझाव देने का कार्य करती है।</li> <li>• राजस्थान विधानसभा में 2 अनुमान / प्राक्कलन समितियाँ हैं - प्राक्कलन समिति 'क' तथा प्राक्कलन समिति 'ख'।</li> <li>• प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।</li> <li>• इस समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं।</li> <li>• इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।</li> <li>• इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।</li> <li>• यह समिति अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है प्रतिवर्ष।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इसे लोक / सरकारी उपक्रम समिति के नाम से भी जाना जाता है।</li> <li>• यह समिति राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखों की जाँच करती है तथा सरकारी उपक्रमों का बेहतर प्रबंधन एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव भी देती है।</li> <li>• इस समिति के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।</li> <li>• इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं।</li> <li>• इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।</li> <li>• इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।</li> <li>• यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है।</li> </ul>

- उपर्युक्त चार वित्तीय समितियों के अलावा, राजस्थान विधान सभा ने अन्य 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

1. अधीनस्थ कानूनों पर समिति
2. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
3. अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति
4. व्यापार सलाहकार समिति
5. आवास समिति
6. नियम समिति
7. पुस्तकालय समिति
8. याचिका ओपर समिति
9. विशेषाधिकारों की समिति
10. सरकारी आश्वासन संबंधी समिति

11. सामान्य प्रयोजन समिति
12. प्रश्न एवं संदर्भ समिति
13. महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधी समिति
14. पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति
15. अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति
16. स्थानीय निकायों-पंचायत राजसंस्थानों की समिति
17. पर्यावरण पर समिति

- सदन में आम तौर पर सत्तासूद और विपक्षी दलों के सदस्यों से ये समितियाँ गठित की जाती हैं।
- समिति के सदस्यों का कार्यालय आम तौर पर एक वर्ष होता है।

- भारतीय जूनियर और कैंडेट ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2015 में गोल्ड (कैंडेट) और सिल्वर युगल स्पर्धाओं में
  - बेल्जियम जूनियर और कैंडेट ओपन आईटीटीएफ जूनियर सर्किट, स्पा (बीईएल) 2017 में कांस्य पदक (जूनियर)
  - दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप कोलंबो, श्रीलंका 2017 में स्वर्ण पदक
  - 2017 ITTF जूनियर सर्किट, स्लोवेनिया में स्वर्ण पदक
  - सर्बिया जूनियर और कैंडेट ओपन, 2017 में रजत पदक
  - जूनियर सर्किट इंडियन ओपन, ग्रेटर नोएडा इंडिया, 2017 में स्वर्ण पदक
  - स्लोवाक जूनियर ओपन इंटरनेशनल, 2016 में रजत पदक।
  - ITTF जूनियर सर्किट, भारत 2016 में स्वर्ण पदक।
  - भारतीय जूनियर और कैंडेट ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2015 में कांस्य पदक (जूनियर)
- टीम इवेंट में**
- बेल्जियम जूनियर और कैंडेट ओपन आईटीटीएफ जूनियर सर्किट, स्पा (बीईएल) 2017 में कांस्य पदक (जूनियर)
  - थाईलैण्ड जूनियर और कैंडेट ओपन ITTF गोल्डन सीरीज़ जूनियर सर्किट, बैंकॉक (THA), 2017 में कांस्य पदक (जूनियर)
  - दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप कोलंबो, श्रीलंका 2017 में स्वर्ण पदक
  - 2017 ITTF जूनियर सर्किट, स्लोवेनिया में स्वर्ण पदक
  - सर्बिया जूनियर और कैंडेट ओपन, 2017 में स्वर्ण पदक
  - जूनियर सर्किट इंडियन ओपन, ग्रेटर नोएडा इंडिया, 2017 में स्वर्ण पदक
  - एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
  - दक्षिण एशियाई कैंडेट और जूनियर चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक।
  - भारतीय जूनियर और कैंडेट ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2015 में गोल्ड (कैंडेट)।
  - ITTF वर्ल्ड जूनियर सर्किट इंडियन ओपन 2016 में कांस्य पदक।

## अध्याय - 3

### राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार

#### अर्जुन पुरस्कार विजेता

अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिये जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारम्भ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप पंद्रह लाख रुपये की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

#### पात्रता-

(i) जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चार वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन किया हो और नामित होने के वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।

(ii) खिलाड़ी पर NADA एवं WADA द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।

**NADA** - National Anti Drug Agency

**WADA** - World Anti-Doping Agency

वर्ष 2001 से अर्जुन पुरस्कार निम्न श्रेणियों में दिया जा रहा है -

(i) ओलंपिक एवं पैरालम्पिक खेल हो

(ii) विश्व कप एवं विश्व चैंपियनशिप

(iii) एशियाई खेल

(iv) राष्ट्रमण्डल खेल

(v) स्वदेशी खेल

(vi) क्रिकेट

(vii) पैरा- खेल

#### चयन समिति -

12 सदस्यीय समिति द्वारा

01 - अध्यक्ष :- उच्च / उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

01 - खेल प्रशासक

01 - SAI का प्रतिनिधि

01 - खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि

04 - प्रतिष्ठित खिलाड़ी (पूर्व में अर्जुन / राजीव गांधी पुरस्कार विजेता / ओलम्पियन)

03 - खेल विशेषज्ञ (पत्रकार, कामेन्ट्रेटर)

01 - पैराओलंपिक खिलाड़ी

#### बास्केटबॉल

श्री सरबजीत सिंह, 1961

श्री खुशी राम, 1967  
 श्री सुरेन्द्र कुमार कटारिया, 1973  
 श्री हनुमान सिंह, 1975  
 श्री अजमेर सिंह 1982  
 श्री राधेश्याम, 1983  
 प्रशांति सिंह, 2017

### एथलेटिक्स

गुरबचन सिंह रंधावा, 1961  
 त्रिलोक सिंह, 1962  
 स्टेफी डिसूजा, 1963  
 श्री श्रीराम सिंह, 1973  
 श्री गोपाल सैनी, 1980-81  
 श्री राज कुमार, 1984  
 श्री दीना राम, 1990  
 श्री श्रीचन्द्र, 1998  
 श्रीमती कृष्णा पूनिया, 2009-10  
 तजिंदर पाल सिंह, मोहम्मद अनस यहिया,  
 स्वप्ना बर्मन, सुंदर सिंह गुर्जर-2019  
 संदीप सिंह, 2020

### बैंडमिंटन

नंदू पाटेकर- 1961  
 मीना शाह- 1962  
 साइना नेहवाल, पारुल परमार- 2009  
 ज्वाला गुट्टा-2011  
 पी.वी. संधू-2013  
 बी.साई प्रणीत, प्रमोद भगत -2019

### सूकर और बिलियर्ड्स

विल्सन जोन्स, 1963  
 माइकल फरेरा, 1973  
 रूपेश शाह, 2013  
 सौरव कोठारी, 2016

### बॉक्सिंग

एल. बड्डी डिसूजा, 1961  
 बहादुर मल, 1962  
 मैरी कॉम- 2003  
 देवेन्द्रो लेशराम, 2017  
 सोनिया लाठर, 2019

### फुटबाल

श्री मगन सिंह राजवी, 1973

### वॉलीबाल

श्री श्यामसुन्दर राव, 1974

श्री सुरेश मिश्रा, 1979  
 श्री आर। के पुरोहित, 1983

### हॉकी

पृथ्वीपाल सिंह, एन. लम्सडेन-1961  
 सुश्री सुनीता पुरी, 1966  
 सुश्री वर्षा सोनी, 1981  
 आकाशदीप सिंह, दीपिका, 2020

### तीरंदाजी

श्री श्याम लाल मीणा, 1989  
 श्री लिम्बा राम, 1991  
 श्री रजत चोहान, 2016

### क्रिकेट

श्री सलीम दुर्गानी, 1961  
 श्री विजय मांजरेकर, 1965  
 स्मृति मंधाना, 2018  
 पूनम यादव, रवींद्र जडेजा, 2019  
 दीप्ति शर्मा, 2020

### कबड्डी

श्री नवनीत गौतम, 2007

### शतरंज

मेनुअल आरोन, 1961  
 विश्वनाथन आनंद, 1985  
 श्री अभिजीत गुप्ता, 2013  
**स्वीमिंग**

सुश्री रीमा दत्ता, 1966  
 श्री भंवर सिंह, 1971  
 सुश्री मंजरी भार्गव, 1974

### भारोतोलन

श्री मेहरचन्द्र भास्कर, 1985

### स्वर्गश

सुश्री भुवनेश्वरी कुमारी, 1982

### निशानेबाजी

डॉ. करणी सिंह, 1961  
 सुश्री राजश्री कुमारी, 1968  
 श्री भीम सिंह, 1968  
 सुश्री भुवनेश्वरी कुमारी, 1969  
 श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, 2003  
 सुश्री अपूर्वी चंदेला, 2016

### पोलो

कर्नल महाराज श्री प्रेम सिंह, 1961  
 श्री किशन सिंह, 1962  
 राव राजा श्री हनुमंत सिंह, 1964

कर्नल श्री रवि राठौड, 2018

**घुड़सवारी**

श्री खान मोहम्मद खान, 1973

श्री रघुवीर सिंह, 1982

श्री जी।एम। खान, 1984

**गोल्फ**

पी.जी.सेठी, 1961

श्री लक्ष्मण सिंह 1982

अदिति अशोक, 2020

**नौकायन**

श्री कासम खान, 2002

श्री बजरंग लाल ताखर, 2007-08

श्री सतीश जोशी, 2008-09

**पैरा-एथलीट**

श्री देवेन्द्र कुमार झाझडिया, 2004

श्री जगसीर, 2010

श्री संदीप सिंह मान, 2016

श्री सुन्दर सिंह गुर्वर, 2018

**2022 के अर्जुन अवार्ड विजेता -**

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल
1.	सीमा पूनिया	एथलेटिक्स
2.	एलधोस पॉल	एथलेटिक्स
3.	अविनाश मुकुंद सबले	एथलेटिक्स
4.	लक्ष्यसेन	बैंडमिंटन
5.	प्रणय एचएस	बैंडमिंटन
6.	अमित	बॉक्सिंग
7.	निखत जरीन	बॉक्सिंग
8.	भक्ति प्रदीप कुलकर्णी	शतरंज
9.	आर प्रज्ञानंद	शतरंज
10.	दीप ग्रेस एक्का	हॉकी
11.	सुशीला देवी	जूडो
12.	साक्षी कुमारी	कबड्डी
13.	नथन मौनी सैकिया	लॉन बॉल

14.	सागर कैलास	मल्लखंभ
15.	एलावेनिल वलारिवान	निशानेबाजी
16.	ओमप्रकाश मिथरवाल	निशानेबाजी
17.	श्रीजा अकुला	टेबिल टेनिस
18.	विकास ठाकुर	भारोत्तोलन
19.	श्री अंशु	कुश्ती
20.	सुश्री सरिता	कुश्ती
21.	परवीन	बुशू
22.	मानसी गिरीशचंद्र जोशी	पैरा बैंडमिंटन
23.	तरुण दिल्ली	पैरा बैंडमिंटन
24.	स्वनिल संजय पाटिल	पैरा बैंडमिंटन
25.	जेरलिन अनिका जे	डैक बैंडमिंटन

**गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता**

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपये, 1 गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पारम्परिक वेशभूषा प्रदान की जाती है।

**पात्रता →**

जब किसी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित टीम / खिलाड़ी निम्न में से कोई उपलब्धि हासिल करता है।

- ओलंपिक / पैरालम्पिक में कोई पदक
- विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप में कोई पदक
- एशियाई खेल में स्वर्ण पदक
- राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक
- कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया हो जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- खिलाड़ी / टीम ने 3 वर्षों तक स्वदेशी खेलों के स्तर को बढ़ाया हो।

**चयन समिति - 10 सदस्य**

01- अध्यक्ष - खेल मंत्रालय द्वारा नामित

01- खेल प्रशासक

**कोच**

**खेल**

राधाकृष्ण नायर पी	एथलेटिक्स
संध्या गुरुंग	बॉक्सिंग
प्रितम सिवच	हॉकी
जय प्रकाश नॉटियाल	पैरा शूटिंग
सुब्रहमनियन रमन	टेबल टेनिस

**Rashtriya Khel Protsahan Puruskar 2021:**

Category	Entity recommended for RashtriyaKhelProtsahanPuraskar, 2021
Identification and Nurturing of Budding and Young Talent	ManavRachna Educational Institution
Encouragement to sports through Corporate Social Responsibility	Indian Oil Corporation Limited

**राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2022 :-**

क्र. सं. श्रेणी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए संस्तुत संस्था, 2022

1. नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण - ट्रांसस्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन - कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्था
3. विकास के लिए खेल - लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन

**अध्याय - 4**

**योग - सकारात्मक जीवन पद्धति**

योग (संस्कृत: योगः) एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है।

योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द 'युज' से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ना है। योग के मूल रूप से दो अर्थ माने गए हैं (1) जुड़ना और (2) समाधि। अर्थात् जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते, तब तक समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है।

यह शब्द - प्रक्रिया और धारणा - हिन्दू धर्म, जैन पंथ और बौद्ध पंथ में ध्यान प्रक्रिया से सम्बंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया और श्री लंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत् में लोग इससे परिचित हैं। प्रसिद्धि के बाद पहली बार 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। भगवद्गीता प्रतिष्ठित ग्रन्थ माना जाता है। उसमें योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी सविशेषण, जैसे बुद्धियोग, सन्यासयोग, कर्मयोग।

वेदोत्तर काल में भक्तियोग और हठयोग नाम भी प्रचलित हो गए हैं। पतंजलि योगदर्शन में क्रियायोग शब्द देखने में आता है। पाशुपत योग और माहेश्वर योग जैसे शब्दों के भी प्रसंग मिलते हैं। इन सब स्थलों में योग शब्द के जो अर्थ हैं, वह एक दूसरे से भिन्न हैं।

**परिभाषाएं-**

महर्षि पतंजलि के अनुसार- चित्तवृत्तिनिरोधः यानी चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। अर्थात् मन को भटकने न देना, एक जगह स्थिर रखना ही योग है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार- जब कोई पूरे शरीर को ठीक से थामना सीख जाते हैं, तो वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं।

ओशो के अनुसार- योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना गलत है। योग विज्ञान

हैं, जो जीवन जीने की कला है। साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जहां धर्म हमें खूटे से बांधता है, वहीं योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है।

**योग: कर्मसु कौशलम्** का अर्थ है कि - योग से ही कर्मों में कुशलता है। यानी कर्मयोग के अनुसार कर्म करने में कुशल व्यक्ति कर्मबंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म में कुशलता का अर्थ है, ऐसी मानसिक स्थिति में काम करना कि व्यक्ति कर्म एकदम अच्छे तरीके से करे और फल की चिंता में पड़कर खुद को व्यग्र न करे।

पतंजलि की योगसूत्र के अनुसार - “योग चित्तवृत्ति निरोध है।” अर्थात् मन की वृत्ति (इच्छाओं) पर नियंत्रण ही योग है।”

**Note - Yoga day 2022 Theme - “Yoga for humanity”**

## योग के प्रकार -

**1. राज योग :** योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई-न-कोई खासियत जरूर है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर आत्म-निरीक्षण किया जाता है। यह ऐसी साधना है, जिसे हर कोई कर सकता है।

महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है और योग सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने इसके आठ अंग बताए हैं, जो इस प्रकार हैं -

यम (शपथ लेना)

नियम (आत्म अनुशासन)

आसन (मुद्रा)

प्राणायाम (श्वास नियंत्रण)

प्रत्याहार (इंद्रियों का नियंत्रण)

धारणा (एकाग्रता)

ध्यान (मेडिटेशन)

समाधि (बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन)

**2. ज्ञान योग :** ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना गया है। यह ज्ञान और स्वयं से परिचय करने का जरिया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही होती है। चिंतन करते हुए

शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन कर बुद्धि का विकास किया जाता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वयं में लुप्त अपार संभावनाओं की खोज कर ब्रह्म में लीन हो जाना है ज्ञान योग कहलाता है

**3. कर्म योग :** श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है ‘योग: कर्मसु कौशलम्’ यानी कुशलतापूर्वक काम करना ही योग है। कर्म योग का सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। कर्म योग के जरिए मनुष्य किसी मोह-माया में फंसे बिना सांसारिक कार्य करता जाता है और अंत में परमेश्वर में लीन हो जाता है। गृहस्थ लोगों के लिए यह योग सबसे उपयुक्त माना गया है

**4. भक्ति योग :** भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ जुड़ना है। ईश्वर, सृष्टि, प्राणियों, पशु-पक्षियों आदि के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को ही भक्ति योग माना गया है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन व अमीर व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी न किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा गया है। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है, ताकि हम अपने उद्देश्य को सुरक्षित हासिल कर सकें।

**5. हठ योग :** यह प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ में ह का अर्थ हकार यानी दाई नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। वहीं, ठ का अर्थ ठकार यानी बाई नासिका स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। हठ योग के जरिए इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि-मुनि हठ योग किया करते थे। इन दिनों हठ योग का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इसे करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है।

**6. कुंडलिनी/लय योग :** योग के अनुसार मानव शरीर में सात चक्र होते हैं। जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। इस दौरान वह सभी सातों चक्रों को क्रियाशील करती है। इस प्रक्रिया को ही कुंडलिनी/लय योग कहा जाता है।

योग करने का असर मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। योग के भावनात्मक फायदे कुछ इस तरह हैं-

**सकारात्मक विचार :** योग का एक लाभ सकारात्मक विचार भी है। योग करने से जीवन को लेकर विचार सकारात्मक हो जाते हैं। वह जीवन को हर दिन नई ऊर्जा व जोश के साथ जीना पसंद करता है। वह जीवन भर 'खुश रहो और दूसरों को खुश रखो' इसी सिद्धांत का पालन करता है।

**तनाव कम :** तनाव हर किसी के लिए नुकसानदायक है। व्यक्ति जब तनाव में होता है, उसके लिए सामान्य जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तनाव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता योग है। जब योग करेंगे, तो नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इससे तनाव का कम होना स्वाभाविक है।

**बारीकियों पर नजर :** अक्सर कोई स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं, जिनमें किसी विषय के बारे में विस्तार से बताया जाता है और यह व्यक्ति लिए जरूरी भी होता है। इस तरह के माहौल में अमूमन होता यह है कि कुछ समय तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। इस प्रकार जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन योग करने वाला व्यक्ति हर समय एक्टिव रहता है। वह हर बारीक से बारीक चीजों पर भी ध्यान रखता है।

**चिंता से छुटकारा :** कहा जाता है चिंता चिंता की जननी है, जो चिंता में डूबा उसका तनाव में जाना तय है। चिंता के कारण हृदय संबंधी बीमारियां तक हो सकती हैं। अगर कोई ज्यादा चिंता में डूबा रहता है, तो योग का सहारा ले सकता है। योग से न सिर्फ मानसिक विकारों व नकारात्मक सोच से उबर पाएंगे, बल्कि जीवन की तमाम दुविधाओं का सामना करने की क्षमता पैदा हो जाएगी।

**अच्छी मनोस्थिति :** जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए स्वभाव का अच्छा और सकारात्मक रहना जरूरी है। इस काम में योग मदद कर सकता है। यकीन मानिए, जब आप योग करते हैं, तो अंदर से पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। इससे मूड अच्छा होता है और दिनभर काम में मन लगा रहता है।

**निर्णय लेने की क्षमता :** योग व्यक्ति को मानसिक रूप से इस कदर मजबूत बनाता है कि जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में लोग सक्षम हो जाते हैं। साथ ही विपरीत हालत में स्वयं को कैसे संतुलित बनाए रखना है, यह निर्णय लेना भी आसान हो जाता है।

**एकाग्रता :** एकाग्रता बढ़ाने में भी योग फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से योग करते रहने से एकाग्रचित होकर काम करने में मन लगता है। इस दौरान मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को भी आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि सफलता का मूल मंत्र काम के प्रति एकाग्रता है।

**अच्छी याददाश्त :** योग के जरिए मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक असर होता है। खासकर, छात्रों के लिए यह बेहद जरूरी है। परीक्षा के दौरान अपने मस्तिष्क को शांत रखना और बेहतर बनाना जरूरी है, ताकि वो जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह याद रहे। इन सबमें योग मददगार साबित हो सकता है।

**अवसाद से राहत :** कई बार ऑफिस और घर का काम इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी मानसिक दबाव में आ सकता है। इस अवस्था में कामों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इससे अवसाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे बचने का एक जरिया योग भी है।

अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले आसन-

**1. पीनियल ग्रंथि-** सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा, पाद हस्तासन, भ्रामरी, कपाल-भाति, त्राटक, नेति तथा शीर्षासन से प्रभावित होती है।

**सूर्य नमस्कार -** शाब्दिक अर्थ - सूर्य को नमस्कार करना

यह आसन शरीर को सही आकार देने एवं मन से शांत, एकाग्र तथा स्वस्थ रखने के लिए सर्वोत्तम रहता है।

यह 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समूह है, जो रक्त वाहिनियों के लिए उत्तम व्यायाम भी है।

- (i) 'प्रणामासन'
- (ii) हस्त उतनासन
- (iii) पाद हस्तासन
- (iv) अश्व संचालनसन

## अध्याय - 5

### भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व

#### भारत के प्रमुख खिलाड़ी

आधुनिक भारत के निर्माण में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आजादी से लेकर वर्तमान तक हर मैदान में महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है।

#### पी टी उषा

**प्य्योली एक्स्प्रेस, सुनहरी कन्या और भारत की उड़न परी** नाम से विख्यात पी टी उषा जी भारत की तरफ से ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पी टी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के प्य्योली, कोज़िकोड में हुआ था। भारतीय ट्रैक और फ़िल्ड की रानी मानी जानी वाली पी टी उषा जी का खेल में पदार्पण 1979 में हुआ था। एशियाई खेल 1982 में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। वे साल 1984 से 1987 तक और साल 1989 में एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका रही थी।

साल 1984 लांस एंजेल्स ओलंपिक खेलों में ये 400 मी बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। खेल के प्रति इनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने इन्हे साल 1984 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया था।

#### कर्णम मल्लेश्वरी

भारतीय महिलाओं के लिए ओलंपिक में पदकों का खाता खोलने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। यह भारत की पहली ओलम्पियन महिला भारोत्तोलक (वेटलिफ़्टर) थी। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाया था। इन्हीं की प्रेरणा से आज भारत में महिलायें वेटलिफ़्टिंग में पदक जीत रही हैं, मीराबाई चानू इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कर्णम ने एशियन चैंपियनशिप में 3 रजत तथा विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य जीते थे। खेलों में अपने असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हे

साल 1994 में अर्जुन पुरस्कार, साल 1995 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार तथा साल 1999 में पद्म श्री से सम्मानित किया है।

#### एम. सी. मैरी कॉम

मॅग्रीफ़िसेन्ट मैरी (प्रतापी मैरी) तथा सुपर मॉम नाम से

मशहूर मैंगते चंगेइजैंग मैरी कॉम या एम सी मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर के काइथेइ में हुआ था।

मैरीकॉम महिला बॉक्सिंग में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला हैं। इसके अलावा मेरीकॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, तथा एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में मुक्केबाजी में कांस्य जीतकर मेरीकॉम युवा भारतीय महिला मुक्केबाजों का मार्गदर्शन कर रही हैं।

भारत सरकार मेरीकॉम को साल 2003 में अर्जुन पुरस्कार, साल 2006 में पद्मश्री तथा साल 2009 में राजीव गाँधी खेल पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी हैं। बॉलीवुड में साल 2014 में मेरीकॉम के जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मेरीकॉम की भूमिका निभाई थी।

#### पी वी सिंधु

देश के लिए ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पी वी सिंधु हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था, इनका पूरा नाम पुसर्ला वेंकट सिंधु है। पी वी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिसने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पी वी सिंधु की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि टोक्यो और रियो ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक प्राप्ति है। भारत सरकार ने सिंधु को उनकी असाधारण खेल उपलब्धि के लिए साल 2016 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार, साल 2015 में पद्म श्री तथा साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है।

#### अवनि लेखारा

देश की नयी गोल्डन गर्ल अवनि लेखारा का जन्म 8 नवम्बर 2001 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अवनि ने टोक्यो पैरालम्पिक खेलों में 10 मीटर एयर

(i) अग्रोन्मुखी अवरोध - जब पहले सीखी गई क्रिया नई क्रिया के सीखने में बाधा बनती है

(ii) पृष्ठोन्मुखी अवरोध :- नई सूचनाओं के एकत्रण के बाद पुरानी सूचनाओं को स्मरण करने में कठिनाई।

### 3) पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत :-

दीर्घकालिक स्मृति में संचित सूचना का समय पर प्रयोग नहीं कर पाना पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत कहलाता है। विस्तारपूर्वक अभ्यास के अभाव में ऐसा होता है।

### RAS / RTS विगत परीक्षाओं में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न:-

प्रश्न-1. स्मृति की तीन अवस्थाओं के बारे में लिखिए। (15 शब्द) RAS (Mains), 2021

प्रश्न-2. स्मृति पर बार्टलेट का दृष्टिकोण क्या है ? (15 शब्द) RAS (Mains), 2018

प्रश्न-3. टी. ए.टी में थीमा तथा आत्मबोधन (एपरसैपशन) क्या है ? (15 शब्द) RAS (Mains), 2018

प्रश्न-4. पृष्ठोन्मुखी व्यवधान से आप क्या समझते हैं ? (15 शब्द) RAS (Mains), 2016

प्रश्न-5. एबिंगहौस वक्र की परिभाषित कीजिए। (15 शब्द) RAS (Mains), 2016

प्रश्न-6. एक्स (X) सिद्धांत तथा वाई (y) सिद्धांत की तुलना करें। सरकारी संगठनों में कौन-सा अधिक प्रासंगिक है ? (50 शब्द) RAS (Mains), 2013

## अध्याय - 4

### प्रतिबल एवं प्रबंधन

#### प्रतिबल / तनाव एवं प्रबंधन

मानसिक तनाव विश्वव्यापी समस्या है। वर्तमान समय में इसने एक अदृश्य बीमारी का रूप धारण कर लिया है, जो दिन - प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी न कभी तनाव से ग्रसित न होता हो! व्यक्ति चलते-फिरते, सोते-जागते तनाव से मुक्त नजर नहीं आता। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि पर समय-समय पर तनाव की चर्चा होती ही रहती है। व्यक्ति नित्य ही विविध प्रकार के तनावों से गुजरता रहता है। जिसका सीधा प्रभाव उसके समायोजन पर पड़ता है। तनाव की उपस्थिति से व्यक्ति के समायोजन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जीवन एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है जिसमें व्यक्ति एक ओर अपने परिवेश तथा दूसरी ओर स्वयं से संघर्ष कर अपने को समायोजित करने का प्रयास करता रहता है।

“यदि हमारा मन स्वस्थ नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं रह सकता।”

**तनाव क्या है?** - तनाव एक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा चुनौती का सामना करने, किसी न किसी रूप में परिवर्तन होने, क्षमता से अधिक समस्या होने अथवा संतुलन भंग होने की स्थिति में की जाती है।

सामान्य अर्थों में तनाव का अभिप्राय उन शक्तियों से है जिनकी उपस्थिति या सत्ता से व्यक्ति के समायोजन को आघात पहुंचता है। यह नकारात्मक दिशा में कार्य करती है। तनाव ऊपर से अधिक तीव्र न भी दिखाई पड़े तो भी धीरे-धीरे संचित हो कर इतना जटिल हो सकता है कि व्यक्ति में विभिन्न मानसिक रोगों को (कालांतर में विभिन्न शारीरिक रोगों को भी) उत्पन्न कर सकता है। तनाव का अंतर्द्वंद्व, कुंठा तथा दबाव से घनिष्ठ संबंध होता है।

यह अंतर्द्वंद्व से तात्पर्य व्यक्ति के मन में ही किन्हीं विचारों के प्रति द्वंद्व या ऊहापोह की स्थिति।

कुंठा से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होने पर मन में उत्पन्न द्वंद्व।

सामान्यतः व्यक्ति को तीन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है -

1. जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित समस्या ;  
यहाँ जैविक आवश्यकताओं से तात्पर्य है- ऐसी आवश्यकताएँ जो मानव को जीने के लिए अति आवश्यक हैं।  
जैसे : भोजन, पानी, आवास, काम, नींद आदि ।
2. समाज और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, मान्यताओं व परंपराओं से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ;
3. व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व से संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ अथवा सुरक्षा, प्रतिष्ठा तथा प्रेम आदि से संबंधित समस्याएँ ।

प्रत्येक व्यक्ति को समायोजनपूर्ण जीवन के लिए अपनी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। टॉम कॉक्स नामक मनोवैज्ञानिक ने दैहिक आधार और उसकी मांग तथा मनोवैज्ञानिक आधार और उसकी मांगों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इन मांगों की अपनी इच्छानुसार पूर्ति न होने पर प्रतिबल और फिर तनाव उत्पन्न होता है। प्रतिबल को मनोवैज्ञानिक एक उत्तेजना के रूप में मानते हैं। कोलमैन के अनुसार, "कोई भी परिस्थिति, जो व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा जिसके कारण व्यक्ति को परिस्थिति के साथ समायोजन करना पड़ता है, वही प्रतिबल या दबाव है"। प्रतिबल के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलित अवस्था को ही तनाव कहते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ जब असामान्य होकर व्यक्ति को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात (चोट) पहुंचाती हैं तो व्यक्ति तनाव की स्थिति में आ जाता है और उसका समायोजन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है।

तनाव का संबंध प्रेरणा से अत्यधिक होता है। प्रत्येक प्रेरणा के पीछे एक प्रेरक होता है। प्रेरक नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह की प्रेरणा दे सकता है और नकारात्मक प्रेरणा तनाव को जन्म देती है। प्रेरणा जितनी ही तीव्र होगी तनाव उतना ही तीव्र हो जाता है। तनाव एक ऐसा मानसिक भारीपन है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता और योग्यता समाप्त हो जाती है। वास्तव में, प्रेरक शक्ति के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों

की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाए। बंधुआ को अपनी इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तमाम असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ये असफलताएँ व्यक्ति में कुंठा और दबाव को जन्म देती हैं जिससे व्यक्ति तनावपूर्ण मनः स्थिति में आ जाता है तथा निरंतर असंतोष और निराशा की स्थिति में रहने लगता है।

**तनाव के प्रकार :-**

**(1) भौतिक एवं पर्यावरणीय तनाव** - यह तनाव का ऐसा प्रकार है जिसमें भौतिक मांगों के कारण हमारी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है।

जैसे - पौष्टिक भोजन की कमी

नींद पूरी ना होना

चोटिल होना / आदि

पर्यावरणीय तनाव परिवेश की अपरिहार्य दशाओं के कारण होता है। जैसे :- प्रदूषण, शोर, भीड़, प्रकृतिक आपदाएँ आदि।

**(2) मनोवैज्ञानिक तनाव** :- ऐसे तनाव जो हम स्वयं मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। मनोवैज्ञानिक तनाव के मुख्य कारण कुंठा, आंतरिक दबाव व सामाजिक दबाव हैं।

**(3) सामाजिक तनाव** - यह बाहरी कारणों तथा दूसरे लोगों से अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है।

जैसे :- बीमारी, मृत्यु, तनावपूर्ण संबंध आदि।

संक्षेप में, इस दबाव व तनावपूर्ण स्थिति के प्रमुख कारण होते हैं :-

1. नई जिम्मेदारी (परिवर्तन के साथ समन्वय न कर पाना)।
2. असफलता मिलने पर स्वयं की योग्यता पर संदेह करना।
3. क्षमता से अधिक कार्यभार (Overloading)।
4. अत्यधिक अकेलापन।
5. सांवेगिक अस्थिरता।
6. मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह।
7. निराशावादी दृष्टिकोण।

## विधि

### अध्याय - 1

#### विधि की अवधारणा

सामान्य अर्थ में किसी भी नियम को विधि कहा जा सकता है। उत्पत्ति की दृष्टि से 'विधि' का अंग्रेजी पर्याय 'लॉ ट्यूटोनिक धातु 'लैंग' से निकला है जिसका अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो एकसार हो अर्थात् बंधी हुई हो।

#### विधि की परिभाषा ( Definition of law )

**हूकर के अनुसार** - ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं, विधि कहलाते हैं।

**हेनरी सिडविक के अनुसार** - विधि शब्द का प्रयोग किसी ऐसे सामान्य नियम के लिए किया जा सकता है जो किसी कार्य को करने अथवा न करने का आदेश देता है और जिसकी अवज्ञा करने पर दोषी व्यक्ति को दंड भोगना पड़ सकता है।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में 'विधि' को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है।

**हॉलैंड के अनुसार** - विधि से आशय मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण द्वारा होती है और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं।

**सामण्ड के अनुसार**- सामान्य अर्थ में विधि के अंतर्गत सभी कार्यों संबंधी नियमों का समावेश है। उनका कथन है कि विशिष्ट अर्थ में विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है जो किसी देश के नागरिकों के प्रति लागू होती है। उनके अनुसार वास्तव में विधिशास्त्रीय विधि वही है जो न्याय की स्थापना के लिए न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है।

ऑस्टिन ने विधि को "प्रभुताधारी या राजनीतिक दृष्टि से उच्चतर व्यक्तियों द्वारा शासित व्यक्तियों पर अधिरोपित किए गए नियमों का समूह" निरूपित किया है। इसे ऑस्टिन ने 'पॉजिटिव लॉ' कहा है।

केल्सन ने विधि को 'अमनोवैज्ञानिक समादेश' कहा है। केल्सन के अनुसार विधि समाज को संगठित करने की तकनीक है जो स्वयं में साक्ष्य ना होकर लोगों को नीतिशास्त्र के नियमों को अनुगमन करने के लिए बाध्य करती है।

#### विधि के स्रोत ( Source of law )

विधि के स्रोत दो प्रकार के होते हैं-

1. औपचारिक स्रोत ( Formalized Source )
2. भौतिक स्रोत ( Physical source )

#### 1. औपचारिक स्रोत ( Formalized Source )

- सामण्ड के अनुसार विधि के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे विधि अपने शक्ति या वैधता प्राप्त करती है। इन स्रोतों को औपचारिक स्रोत कहा जाता है। इनका तात्पर्य राज्य की इच्छा और शक्ति से है, जो राज्य के न्यायालयों द्वारा निर्णयों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है।

**2. भौतिक स्रोत ( Physical source )**- विधि का भौतिक या तात्विक स्रोत वह है जिसे विधि विषयक सामग्री प्राप्त होती है। सामण्ड ने विधि के भौतिक स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया है

1. ऐतिहासिक स्रोत ( Historical sources )
2. वैधानिक स्रोत ( Statutory sources )

**ऐतिहासिक स्रोत ( Historical source )** - विधि के ऐतिहासिक स्रोत विधि के विकास को प्रभावित करते हैं तथा विधि निर्माण के लिए सामग्री जुटाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध विधिक इतिहास से है न कि विधिक सिद्धांतों से। अतः इन स्रोतों के पीछे विधिक मान्यता नहीं होती है। ये स्रोत परोक्षतः विधि के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

**वैधानिक स्रोत ( Statutory sources )**- यह विधि के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता दी गई है। वैधानिक स्रोत निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं-

**विधायन या अधिनियमित विधि ( Law or enacted law )**

अधिनियमित विधि राज्य की विधान शक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसे कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालयों द्वारा मान्य किया जाता है।

**पूर्व निर्णय या नजीरे (उदहारण)** - न्यायालयों द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों को भविष्य में उसी प्रकार

के तत्सम वादों में उदाहरण के रूप में लागू किया जाता है। पूर्व निर्णय को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया गया है।

**रुढिगत या प्रथागत विधि-** इस प्रकार की विधियां उन प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं जो विधि द्वारा व्यावहारिक नियमों के रूप में स्वीकार की गई हैं।

**अभिसामयिक विधि-** इस प्रकार की विधियां लोगों द्वारा आपसी समझौते के आधार पर निर्मित की जाती हैं और यह विधि केवल उन व्यक्तियों के प्रति बंधनकारी होती हैं जो उस विधि के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त करते हैं।

**विधि की प्रमुख विशेषताएं (Characteristics of the Law)**

1. विधि देश के प्रभुताधारी द्वारा लागू किया गया समादेश है, अर्थात् वह राज्य द्वारा निर्मित कानून है जिसके पीछे राज्य की शास्ति निहित रहती है और जो व्यक्तियों को विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य करती है सारांश यह है कि विधि को राज्य की शास्ति द्वारा लागू किया जाता है।
2. विधि और न्याय में घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः विधि न्याय- प्रशासन का एक अनिवार्य साधन है।
3. विधि में एकरूपता और स्थिरता होती है अर्थात् यह बिना किसी भेदभाव के सभी के प्रति समान रूप से लागू की जाती है। विधि का प्रवर्तन राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों द्वारा किया जाता है।
4. कभी-कभी रुढिगत प्रथाएं भी विधि का रूप ग्रहण कर लेती हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब इन रुढियों को न्यायाधीशों द्वारा विधि के रूप में मान्य किया गया हो तथा अपने निर्णयों में समाविष्ट कर लिया गया हो।

**विधि के गुण ( Properties of law )**

- i. एकरूपता और निश्चितता
- ii. निष्पक्ष न्याय
- iii. वैयक्तिक निर्णय की भूलों से रक्षा

**विधि के दोष ( Defects of law )**

- रुढिवादिता
- औपचारिकता
- जटिलता
- अनम्यता

## • स्वामित्व

**स्वामित्व की परिभाषा :-**

ब्लॉक के विधि - शब्दकोष ( 6 वां संस्करण ) के अनुसार स्वामित्व (Ownership) की परिभाषा इस प्रकार की गई है - सम्पत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को 'स्वामित्व' कहते हैं जिसमें सम्पत्ति का अंतरण किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः किसी सम्पत्ति के प्रति स्वत्व (Claim) को विधितः मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है।

विधिशास्त्रियों ने 'स्वामित्व' की परिभाषा भिन्न - भिन्न प्रकार से की है। तथापि प्रायः सभी विधिवेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक पूर्णतम तथा प्रबल अधिकार होता है। हिबर्ट के अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत चार प्रकार के अधिकार संनिहित हैं। ये अधिकार हैं -

1. किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार,
2. दूसरों को उस वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार,
3. उस वस्तु के व्ययन ( disposal ) का अधिकार, और
4. उस वस्तु को नष्ट करने (destruction) का अधिकार।

मार्कबी के अनुसार किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह दर्शाता है कि उस वस्तु से संबंधित समस्त अधिकार उसी व्यक्ति में निहित हैं। अतः स्पष्ट है कि स्वामित्व किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच ऐसे संबंधों का प्रतीक है जो उस वस्तु से संबंधित समस्त अधिकार उस व्यक्ति में निहित करता है। ऑस्टिन ने 'स्वामित्व' कि व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'स्वामित्व' किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बन्धित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। सामण्ड ने 'स्वामित्व' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। उनके अनुसार व्यापक अर्थ में स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित किसी अधिकार के संबंध को अभिव्यक्त करता है- ये अधिकार चाहे सांपत्तिक हो, अथवा वैयक्तिक, लोकलक्षीक हों, अथवा व्यक्ति - लक्षी, भौतिक हों अथवा अभौतिक। संकीर्ण अर्थ

• **अध्याय 8**

**भू-प्रबन्ध संक्रियायें**

**भू-प्रबन्ध** - भू-प्रबन्ध का शाब्दिक अर्थ है, भूमि का प्रबन्ध या भूमि की व्यवस्था, जिसमें मुख्यतः भूमि की किस्मों, लगान दरों, उसके भुगतान के तरीके व समय का निर्धारण किया जाता है। धारा 142 के अनुसार राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिये किसी क्षेत्र में भू-प्रबन्ध या पुनर्भू-प्रबन्ध कराने का आदेश दे सकती है।

**आर्थिक सर्वेक्षण** - धारा 148 के अनुसार जब कोई जिला या क्षेत्र भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लिया जाता है तो भू-प्रबन्ध अधिकारी निम्नांकित विषयों का ध्यान रखते हुए उस जिले या क्षेत्र के काश्तकारों का आर्थिक सर्वेक्षण कराता है,

1. जिस सीमा तक जिला या क्षेत्र सिंचाई द्वारा रक्षित है, और गत भू-प्रबन्ध के बाद सिंचाई सुविधाओं में कोई वृद्धि हुई हो।
2. कृषि का स्तर, गत भू-प्रबन्ध के बाद कृषि भूमि के क्षेत्र में कोई वृद्धि या कमी हुई हो।
3. कृषि का व्यय और काश्तकार के स्वयं व परिवार के पालन-पोषण का व्यय।
4. भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्र में या उसके आस-पास स्थित मंडियों का होना।
5. गत भू-प्रबन्ध के बाद संचार साधनों में वृद्धि या सुधार, यदि कोई हुए हो।
6. खेतों के आकार।
7. काश्तकार की ऋणग्रस्तता की सीमा और ऋण मिलने की सुविधाएँ।

**कर निर्माण वृत्तों या संघों का निर्माण** - धारा 149 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के पूर्ण होने के तुरन्त बाद या उसके साथ-साथ भू-प्रबन्ध अधिकारी उस जिले या क्षेत्र में कर निर्माण वृत्तों या संघों का निर्माण करेगा। जिसमें धारा 148 में वर्णित विषयों की समरूपता का तथा निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जायेगा-

1. प्राकृतिक आकार
2. जलवायु तथा वर्षा
3. जनसंख्या तथा श्रमिकों की उपलब्धता
4. कृषि साधन

5. मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलों की किस्म व उनकी उपज की मात्रा व उनके मण्डियों में प्रचलित मूल्य

6. दरें, जिन पर जोतों का लगान दिया जाता है

7. गत भू-प्रबन्ध में यदि कोई कर निर्माण वृत्तों या संघों का निर्माण किया हुआ हो तो उनका ध्यान रखना

**मिट्टी का वर्गीकरण व लगान दरों का निर्धारण** -

धारा 150 के अनुसार भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रत्येक कर निर्धारण वृत्त या कर निर्धारण संघ के गाँवों को मिट्टी की विभिन्न श्रेणियों में बाँटता है। तथा धारा 151 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की मिट्टी के लिये लगान दरों का निर्धारण करता है।

**लगान दरों का आधार** - धारा 152 के अनुसार न्यायोचित लगान दरों के निर्धारण के लिये निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है-

1. भू-प्रबन्ध से पूर्व 20 वर्षों में लगान व लगान जैसे उपकरणों की वसूली की स्थिति।
2. भू-प्रबन्ध से पूर्व 20 वर्षों में कृषि उपज के मूल्य का औसत।
3. उगाई गई फसलों की किस्म व उपज का औसत।
4. औसत मूल्य पर ऐसी पैदावार की वेल्यु।
5. काश्त का व्यय और काश्तकार के स्वयं व परिवार के पालन पोषण का व्यय।
6. प्रत्येक खेत में से प्रतिवर्ष पडत रखी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, फसलों का आवर्तन, हेर-फेर व पडत रखने की स्थिति।
7. लगान में छूट, निलम्बन और अपूर्ण वसूली की आवृत्ति।
8. यदि गत भू-प्रबन्ध की कोई लगान दर और उपज का भाग तथा विनिमय का मूल्य तय किया हुआ है तो उसको ध्यान रखना।
9. नजदीकी क्षेत्रों में ऐसी श्रेणी की अन्य भूमि के लिए कोई लगान दरें स्वीकृत हो तो उसका ध्यान रखना।

**‘दस्तूर गवाई’ -**

उत्तर - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दस्तूर गवाई बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे वाजिब-अल-अर्ज भी कहा जाता है। इसमें संबंधित गांव की रुढ़ियां जो भूमि तथा भूमि के उपयोग तथा लगान

के भुगतान के अतिरिक्त देनगियां सम्मिलित होती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 173 में दस्तूर गवाई से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। प्रत्येक गांव हेतु बन्दोबस्ती अधिनियम एक दस्तूर गवाई तैयार करता है। दस्तूर गवाई में निम्नलिखित बातें लेखबद्ध की जाती हैं-

समस्त उपकर जो चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हो, भूमि के अधिभोग हेतु संबंधित गांव के काशतकारों द्वारा अभी तक लगान के अतिरिक्त देय हैं।

**निम्नलिखित बातों के संबंध में संबंधित गांव की रुढियां -**

- गांव की सामान्य भूमि में उसका उपज में व ग्राम स्थल में, उसके निवास या उसमें भूमियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और सिंचाई के अधिकार, मार्ग के अधिकार तथा अन्य सुखाधिकार।

ग्राम प्रशासन में संसक्त कोई अन्य अधिकार, रुढि अन्य बातें जिन्हें सुनिश्चित करके लेखबद्ध करना राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित हो

**राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955,**

**काशतकारी अधिनियम** - यह सिर्फ कृषि भूमियों पर लागू होता है तथा इसमें कृषको के अधिकारों के बारे में बताया गया है, यह काशतकारों के हितों को संरक्षित करता है, यह 15 अक्टूबर 1955 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। इस अधिनियम में 16 अध्याय, 260 धाराएं एवं 3 अनुसूचियां हैं।

## • अध्याय - 1 प्रारम्भिक

**धारा 5 परिभाषाएं** - इस धारा में दी गई परिभाषाएं सिर्फ इस अधिनियम के संदर्भ में ही दी गई हैं, (कुछ खास परिभाषाएं निम्नानुसार हैं)

- कृषि वर्ष** - धारा 5(1) के अनुसार प्रति वर्ष। जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी 30 जून तक समाप्त होने वाली वार्षिक अवधि को कृषि वर्ष माना गया है। इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है।
- कृषि** - इस में कृषि को परिभाषित नहीं किया गया है, साधारणतया कृषि का अर्थ भूमि को जोतना,

बुवाई करना, खेती की सम्भाल करना, फसल काटकर तैयार करना समझा जाता है, किन्तु इस धारा में सिर्फ उन क्रिया-कलापों का वर्णन किया गया है, जिन्हें भी इस एक्ट में संदर्भ में कृषि माना गया है,

धारा 5(2) के अनुसार कृषि में उद्यान-कृषि, पशुपालन व प्रजनन, दुग्ध-उद्योग, कुक्कुटपालन तथा वन विकास सम्मिलित हैं।

- कृषक** - धारा 5(3) के अनुसार वह व्यक्ति जो अपनी जीविका पूर्णतः या मुख्यतः कृषि कार्य से अर्जित करता है, कृषक है। चाहे वो स्वयं कृषि कार्य करे या अपने सेवकों या अभिधारियों से कृषि करावे।

- फसल** - इसमें भी फसल को परिभाषित नहीं किया गया है, वास्तव में कृषि से प्राप्त उपज को फसल कहते हैं, किन्तु इस धारा में सिर्फ कुछ उदाहरण देकर बताया गया है कि फसल में क्या-क्या सम्मिलित माना है,

धारा 5(4) अनुसार फसल में क्षुप (छोटे वृक्ष), झाड़ियाँ, पौधे और बेले जैसे - गुलाब की झाड़ियाँ, पान की बेले, मेहंदी की झाड़ियाँ, कदली और पपीता सम्मिलित हैं।

- बाग-भूमि या उपवन भूमि** - धारा 5(15) के अनुसार भूमि का ऐसा टुकड़ा या खण्ड जिस पर वृक्ष इतनी संख्या में लगे हुए हो कि वे उस भूमि को अन्य किसी कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने से रोकते हैं, या बड़े होने पर रोकेंगे, ऐसे वृक्षों के समुह को बाग माना जायेगा, और ऐसे वृक्षों के समुह से आच्छादित भूमि बाग भूमि कही जायेगी।

- जोत** - धारा 5(17) के अनुसार किसी एक व्यक्ति द्वारा एक पट्टे (प्राधिकार पत्र), वचनबद्ध (बॉण्ड) या अनुदान के अधीन धारित समस्त भूमि खण्ड, चाहे कही भी अलग-अलग जगह पर स्थित हो वो सभी उस व्यक्ति की एक जोत माने जायेंगे।

जहाँ अधिकतम सीमा की गणना करनी हो वहाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन धारित समस्त भूमि खण्ड, चाहे वे राजस्थान में कही भी अलग-अलग जगह पर स्थित हो वो सभी उस व्यक्ति की एक जोत माने जायेंगे। और जहाँ ऐसी जोत एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है तो प्रत्येक का जो हिस्सा है वो उसकी जोत माना जायेगा, चाहे वास्तविक विभाजन हुआ या नहीं हुआ हो।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

**RAS PRE. 2021** - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

**RAS Pre 2023** - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

**Rajasthan CET Gradu. Level** - <https://youtu.be/gPqDNlc6URO>

**Rajasthan CET 12th Level** - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

**RPSC EO / RO** - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

**PTI 3<sup>rd</sup> grade** - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)

**SSC GD - 2021** - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vl>

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
<b>RAS Mains 2021</b>	October 2021	52% प्रश्न आये
<b>RAS Pre. 2023</b>	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)

<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>RPSC EO/RO</b>	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)

**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**

# Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	<b>Mohan Sharma</b> S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	<b>Mahaveer singh</b>	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	<b>Sonu Kumar Prajapati</b> S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	<b>Mahender Singh</b>	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	<b>Lal singh</b>	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	<b>Mangilal Siyag</b>	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	<b>MONU S/O KAMTA PRASAD</b>	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	<b>Mukesh ji</b>	RAS Pre	1562775	newai tonk
	<b>Govind Singh S/O Sajjan Singh</b>	RAS	1698443	UDAIPUR
	<b>Govinda Jangir</b>	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	<b>Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma</b>	RAS	N.A.	Churu
	<b>DEEPAK SINGH</b>	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	<b>LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL</b>	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	<b>Ramchandra Pediwal</b>	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	<b>Monika jangir</b>	RAS	N.A.	jhunjhunu
	<b>Mahaveer</b>	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A	<b>OM PARKSH</b>	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A	<b>Sikha Yadav</b>	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	<b>Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel</b>	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	<b>mukesh kumar bairwa s/o ram avtar</b>	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A	<b>Rinku</b>	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	<b>Rupnarayan Gurjar</b>	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	<b>Govind</b>	SSB	4612039613	jhalawad

	<b>Jagdish Jogi</b>	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	<b>Vidhya dadhich</b>	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें - <https://wa.link/40daqf>

Online order करें - <https://shorturl.at/qR235>

Call करें - **9887809083**